न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या-125/2016

1-मक्खन
2- बिरबल
3- उम्मेदसिंह

पुत्रगण हरफूल जाति जाट निवासीगण ढाणी डडावाली तन नौरंगपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

---अपीलान्टस्---

---बनाम--

1- रामेश्वर पुत्र
2- रामदेवाण पुत्र
3- गौरू पुत्र
4- मदन पुत्र
5- रघुवीर पुत्र
6- निम्बों पत्नी

स्व0 श्योचन्द जाति जाट निवासी ढाणी डडावाली तन नौरंगपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

7- गुलाबी पुत्र स्व0 श्योचन्द पत्नी स्व0 भगवानाराम जाति जाट निवासी ढाणी बुडानिया तन सेफरागंवार तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू (राज0)

8- सन्तरा पुत्री स्व0 श्योचन्द पत्नी रामदेव जाति जाट निवासी बड की ढाणी उप तहसील गुढा गौडजी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ।

9- मालीदेवी पत्नी स्व0 बालूराम
10-झाबरमल पुत्र स्व0 बालूराम
11-रोहताश पुत्र स्व0 बालूराम

जाति जाट निवासी ढाणी डंडावाली तन नौरंगपुरा तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू ।

12-राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार खेतडी जिला झुन्झुनू ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 27-7-15 द्वारा उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, खेतडी ।

--0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति-

1-श्री विजयपाल एडवोकेट- अपीलान्ट

2-श्री उम्मेदराज सैनी एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 16.2.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या-1 से 8 के पिता/पति एवं रेस्पोडेन्ट सं0-9 से 11 ने अदालत मातहत में दावा बाबत खाता विभाजन का पेश कर निवेदन किया ग्राम नौरंगपुरा में स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत 2068 से 2071 के खाता सं0- 134 के खसरा नं0- 632 रकबा 0.28 हैक्टर, ख0नं0 745/561 रकबा 4.00 हैक्टर, ख0नं0 748/546 रकबा 1.57 हैक्टर, ख0नं0 752/535 रकबा 0.50 कुल किता-4 रकबा कुल 6.35 हैक्टर के वादीगण व प्रतिवादी सं0-1 से 3 संयुक्त खातेदार काश्तकार है । जिसमें वादी सं0-1 का 1/3 हिस्सा, वादी सं0-2 से 4 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0-1 से 3 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विवादित आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से विवादित आराजी का रकबा काश्त में कम बेशी होने से झगडा होता रहता है तथा वादी अपने हिस्से की आराजी का विकास नहीं कर सकता । अतः उक्त विवादित आराजी का मुताबिक राजस्व रेकार्ड खाता विभाजन किया जाकर खाता अलग अलग कायम किया जावे एवं लगान अलग अलग कायम किया जावें । योग्य अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादीगण का दावा स्वीकार कर खाता विभाजन कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने राजस्थान टिनेन्सी बोर्ड आफ रेवेन्यू(नियम) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है । विभाजन प्रस्तावत तहसीलदार खेतडी ने स्वयं ने तैयार नहीं किये पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाये गये है

विभाजन प्रस्ताव अपीलान्टस् की अनुपस्थिती में बनाये गये है । तथा विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई । विभाजन प्रस्ताव मौके के अनुसार तैयार न कर मनमर्जी से विधि के विपरित तैयार किये गये हैं ।विभाजन धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं हुआ। अपीलान्टस् ख0नं0 745/561 में दक्षिणी दिशा में 1.15 हैक्टर तथा ख0नं0 632 के सम्पूर्ण भाग पर तथा ख0नं0 748/546 में 0.52 हैक्टर दक्षिण दिशा में भूमि पर भौतिक रूप से काबिज काश्त है तथा ख0नं0 752/535मेंरकबा 0.16 हैक्टर का भी दक्षिणी दिशा में ही कब्जा काश्त अपीलान्ट का रहा है किन्तु अदालत मातहत ने कब्जे के बिन्दू को नजर अन्दाज कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोंडेन्ट को व जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि सर्वप्रथम तो पटवारी हल्का ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है जो गलत है ।विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का से नहीं मंगवा सकते इसके समर्थन में आरआरटी 2017§1§ पेज 689 पेश की की जिसमें स्पष्ट किया है तहसीलदार स्वयं को मौका निरीक्षण करना तथा प्रस्ताव तैयार करना आवश्यक है ।किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है जो आज्ञापक नियमों के विपरित है ।तथा विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट को बिना सूचना दिये उसकी गैरमौजूदगी में तैयार कर भिजवाये है जिसमें विभाजन मौके के विपरित भिजवाये गये है । जिस पर अदालत मातहत ने ऐतराज लिये बिना ही आदेश पारित किया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि...

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन करते हुये निवेदन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय मजमें आम लोक अदालत में पारित किया है । जिसमें राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहकर गांव के मजमें आम में राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना निर्णय पारित किया है जो एक पवित्र निर्णय है ।केवल विभाजन प्रस्ताव पर श्रीमान् तहसीलदार तहसील खेतडी को प्रेषित किया जाना दर्ज कर दिया बल्कि विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है यह हस्ताक्षर काउण्टर हस्ताक्षर नहीं है । पटवारी द्वारा कार्यवाही की गई वह केवल तहसीलदार की निगरानी में की गई है। बल्कि यह रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा ही तैयार की गई है । मौके पर कब्जा कास्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव है राजस्व रेकार्ड में जितना हिस्सा है उससे कम हिस्सा भी नहीं दिया गया । अपीलान्ट केवल हमे परेशान करने पर आमादा है । अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है । अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । जमाबन्दी सं0- 2069 से 2072 में आराजी ख0नं0 632, 745/561, 748/546, 752/535 कुल किता-4 रकबा 6.35 हैक्टर की खातेदारी रयोचन्द बालूराम पुत्र हिरा हि0 2/3, मक्खन बीरबल उम्मेदसिंह पि0 हरफूल हि0 1/3 के नाम दर्ज है। जिस पर नामान्तरकरण सं0 388 के द्वारा बालूराम का देहान्त होने पर उसका 1/3 हिस्सा उसके वारिसान के नाम दर्ज किया गया । प्रदर्श-3 विभाजन प्रस्ताव पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है तथा तहसीलदार के हस्ताक्षर भी है । केवल यह विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार को प्रेषित किया जाना दर्ज कर दिया जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि यह रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई ।अपीलांट का यह तर्क विश्वास योग्य नहीं है । साथ ही प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत में किया गया है व जिसमें सभी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे हैं । विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर प्रतिहस्ताक्षर नहीं है । साथ ही विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट को जमाबन्दी में दर्ज हिस्से के अनुसार आराजी बंटवारे में दी गई ।अपीलान्ट ने जो नजीर पेश की है उसमें केवल पटवारी हल्का द्वारा

प्रस्ताव पर हस्ताक्षर है। यहां पर केवल विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार को प्रेषित किया जाना दर्ज किया है जिसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उक्त रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की गई हो ।प्रस्तुत प्रकरण में नजीर चस्पा नहीं होती है ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतडी का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27-7-2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 16.2.2018 को सुनाया गया ।

16/2/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर